अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / अति.मु.अ. (मुख्यालय.) / अधी.अ.(वा.) / अ.अ.–II / 2017–18 / प्रे 544 दि: 31-5-17

आदेश

विषयः– ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में घरेलु विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 11 केवी लाईन से 650 मीटर की दूरी तक स्थित आवासों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु आदेश संख्या 3341 दिनांक 16.09.2016 (वाणिज्य आदेश – 629) जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार कम से कम चार आवेदक होने पर 150 मीटर तक 11 केवी लाईन खीचकर एवं 5 केवीए या अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन देने का प्रावधान था। इसके लिये प्रति आवेदक रू. 10000 / – की राशि जमा करानी थी एवं स्थापित ट्रांसफार्मर से सर्विस लाईन आवेदक को स्वंय के खर्चे पर डालनी थी।

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि उपभोक्ता द्वारा 500 मीटर तक सर्विस लाईन स्वंय के द्वारा डालने पर सर्विस लाईन की गुणवत्ता सही नही होने की संभावना है, एवं उपभोक्ता द्वारा सर्विस लाईन उचित तरीके से नही डालने पर दुर्घटना की संभावना भी रहेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं दीनंदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकृत गांवो एवं ढ़ाणियों में चिन्हित बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एवं एपीएल परिवारों को आवेदन शुल्क रू. 200 / — एवं रू. 1500 / — जमा करके कनेक्शन दिये जा रहे है। इसके अतिरिक्त आदेश संख्या वाणिज्य आदेश – 650 के तहत गैर आबादी क्षेत्र में स्थापित एलटी लाईन से 100 मीटर तक सर्विस लाईन डालकर एवं आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढाकर आवेदन शुल्क रू. 200 / – एवं रू. 3500 / – जमा करके घरेलु कनेक्शन दिये जा रहे है। मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना में वसूल की जा रही राशि उपरोक्त राशि की तुलना में बहुत अधिक है, जिसकी वजह से अधिकांश घरेलु आवेदक यह राशि वहन नही करने की स्थिति में कनेक्शन से वंचित रहे जावेंगे। जबकि केन्द्र सरकार के उद्देश्य यथासंभव घरेलु आवेदकों को विद्युत उपलब्ध करवाना है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रों में छितरायें हुये आवासों को कनेक्शन दिये जाने हेतु पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित कर निम्नालिखित संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. इस योजना में स्थापित 11 केवी सिंगल फेस लाईन का विस्तार कर 5 केवीए या अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करके आवासों को विद्युत कनेक्शन करायें जावेंगे। 100 मीटर की परिधि में कम से कम 3 या अधिक आवेदक होने पर लोड सेन्टर पर उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करके कनेक्शन दिये जा सकेंगें।
2. इस योजना में रू. 200/– आवेदन शुल्क लेकर नये आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगें एवं बिन्दु संख्या 1 के अनुसार साध्य होने पर रू. 3500/– जमा करवाकर कनेक्शन दिये जा सकेंगे। पूर्व में मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना के तहत 31 जनवरी 2017 तक पंजीकृत साध्य प्रत्येक एपीएल आवेदक से आवेदन शुल्क रू. 200/– व सर्विस कनेक्शन शुल्क रू. 3500/– की राशि जमा करवाई जावेंगी एवं पूर्व में जमा पंजीकरण राशि रू. 100/– आवेदन शुल्क में समयोजित की जावेगी। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जावेंगें।
3. उपरोक्त कनेक्शन कम से कम तीन (3) या अधिक के समूह में दिये जावेगें, इसके लिए 5 केवीए या अधिक उचित क्षमता का सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लोड सेन्टर के नजदीक लगाया जायेगा। ट्रांसफार्मर से उपभोक्ता के परिसर तक एलटी लाईन एवं सर्विस लाईन निगम द्वारा उपलब्ध कराई जावेंगी एवं आवश्यकतानुसार पोल लगाकर स्थापित की जावेगी। ट्रांसफार्मर के पोल पर मीटर बॉक्स स्थापित करके यथासम्भव LPR मीटर लगाकर कनेक्शन जारी किये जावेंगे। भविष्य में भी स्थापित ट्रांसफार्मर में क्षमता होने पर रू. 3500/– जमा करके ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुरूप कनेक्शन दिये जा सकेंगे।
4. इस योजना के अन्तर्गत एचटी लाईन, एलटी लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने का खर्चा जिले की स्वीकृत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में उस जिले की स्वीकृत वित्तीय सीमा तक कराया जा सकेगा।

आज्ञा से

31.5.17

(एस. एस. मीना)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर